1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5253/2006/भरतपुर रामजीलाल बनाम कृषि उपज मण्डी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री हंगामीलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा दिनांक 06–07–2006 को प्रकरण संख्या 232/2003 उन्वानी रामजीलाल बनाम कृषि उपज मण्डी में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी–प्रार्थीगण ने अप्रार्थी–प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली तनकियात निर्धारण के लिए तय की गई और बाद में पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई, जिसमें प्रतिवादी द्वारा जिरह करने के लिए पेशी नियत की जाती रहीं। प्रतिवादी ने जिरह के स्थान पर प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त विवाद्यक कायम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रुप से इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि यह प्रार्थना पत्र असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया है, जब कि वाद में विधिवत तनकियात कायम हो चुकी हैं। यदि पूर्व कायम की गई तनकियात से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की वेदना थी तो उन्हें पहले ही इन्हें संशोधित कराये जाने हेतु आवेदन करना चाहिए था। असाधारण देरी से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के स्वीकार किए जाने से प्रकरण के निस्तारण करने में अनावश्यक रुप से देरी होगी। प्रकरण में जो तनकी प्रतिवादी कायम करवाना चाहते हैं वे बिन्दु पूर्व से ही बतौर तनकी बनाए गए हैं, अतः पृथक से इस आशय की नवीन तनकी	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5253/2006/भरतपुर रामजीलाल बनाम कृषि उपज मण्डी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कायम किये जाने का कोई औचित्य व आधार नहीं है। साक्ष्य के समय इस बिन्दु पर वे अपना पक्ष रख सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी–प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में पूर्ण रुप से क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से, निगरानी स्वीकार की जाए और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाए। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अभिभाषक का बहस में कथन है कि जो तनकियात कायम की गई हैं वे मात्र वादी के वादपत्र के आधार पर कायम की गई हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति व जबाबदावे में उज्र लिए हैं उनके सम्बन्ध में अभिवचनों के अनुसार तनकियात कायम नहीं की है, इनमें कुछ तनकियात कानूनी भी हैं। वादपत्र व प्रारम्भिक आपत्ति व जबाबदावे के अनुसार तनकी कायम किया जाना आवश्यक है। इस बिन्दु को विधिवत रुप से निर्धारित नहीं करने से प्रतिवादी के हक प्रतिकूल प्रभावित होंगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करने का आदेश दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं होने से निगरानी को खारिज किया जाये। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा प्रारमिभक आपत्ति/जवाब प्रस्तुत किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दादरसी सहित 7 विवाद्यक कायम किए गए हैं। प्रतिवादी का मुख्य उज्र यही रहा है कि प्रारम्भिक आपत्ति व जबाबदावा में जो उज्र लिये हैं उनके अनुसार तनकियात निर्धारण नहीं की गई हैं जब कि प्रार्थीगण का मुख्य रुप से यही विरोध रहा है कि ये प्रार्थना पत्र इन्हें पहले ही प्रस्तुत कर देना चाहिए था और ये प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है। आदेश 14 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान निम्नानुसार सुस्पष्ट हैंः– **5- Power to amend, and strike out , issues:-** (1) The Court may at any time before passing a decree amend the issues or frame additional	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/5253/2006/भरतपुर रामजीलाल बनाम कृषि उपज मण्डी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	issues on such terms as it thinks fit, and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matter in controversy between the parties shall be so made or framed. (2) The Court may also, at any time before passing a decree, strike out any issue that appear to it to be wrongly framed or introduced. स्पष्ट है कि प्रकरण में निहित विवाद बिन्दु के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य को देखते हुये, न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर अतिरिक्त तनकीयात कायम करने आदेश प्रदान कर सकते हैं। देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मात्र के आधार पर, आवेदन को खारिज किया जाना उचित नहीं है। माननीय मण्डल की एकलपीठ ने आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 1298 पर इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है। हस्तगत प्रकरण में जो विवाद बिन्दु रहे हैं, उनके प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो आदेश 14 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम किया जाना अनुचित कार्यवाही नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का सदुपयोग करते हुये आदेश पारित किया है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं रही है और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	